[2009] 2 उम. नि. प. 351

हबीब इब्राहिम

बनाम

राजस्थान राज्य

13 जून, 2008

न्यायमूर्ति (डा.) अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति पी. पी. नवलेकर

विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) – धारा 3 और 14 – भारत में अवैध रूप से प्रवेश तथा ठहरना – अवैध रूप से ठहरने वाले व्यक्ति के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट तथा नेपाल के लिए छह मास का अभिवहन वीज़ा होना – पूछताछ किए जाने पर घुसपैठिए द्वारा पत्नी-बच्चों से मिलने के लिए आने का अभिवाक् किया जाना – पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाना – दंडादेश कम किए जाने का अनुरोध किया जाना – चूंकि अपीलार्थी-अभियुक्त के पास भारत में प्रवेश तथा ठहरने के कोई विधिमान्य दस्तावेज नहीं हैं, अत: उसको सिद्धदोष ठहराया जाना और दंडादिष्ट किया जाना न्यायोचित है और अत्यधिक संख्या में घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए कठोर दंडादेश ही पारित किए जाने की भी जरूरत है ।

संक्षेप में, इस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि इस प्रकार है : विद्याधर नगर, जयपुर के थाने का भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिली कि भगवान सहाय सैन, जोकि ग्राम अकेदादुगर का निवासी है, के साथ जो व्यक्ति हैं वे पाकिस्तान के निवासी हैं और भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं । तत्पश्चात् पूर्वाह्न लगभग 8.15 बजे वह दो साक्षियों के साथ बस स्टैंड सं. 15 पर पहुंचा । उसने देखा कि एक व्यक्ति भगवान सहाय के साथ है । पूछताछ किए जाने पर, उसने बताया कि उसका नाम हबीब इब्राहिम है और उसके पिता का नाम इब्राहिम रहमतुल्ला है और वह गली सं. 3, मुल्लाह अल्लाह डडलेन गोबोल रोड, लियाड़ी, कराची, पाकिस्तान का निवासी है । भारत में उसे रहने के लिए प्राधिकृत किए जाने संबंधी दस्तावेजों की हबीब इब्राहिम से मांग की गई थी और भारत में उसके आने का कारण पूछा गया था । उसने उसका कोई समाधानप्रद उत्तर नहीं दिया । संदेह होने के आधार पर उसकी साक्षियों की उपस्थिति में तलाशी ली गई थी और उसकी जेब से पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद किया गया

तथा नेपाल का छह मास का पर्यटन वीज़ा तथा टेलीफोन बिल भी उससे बरामद हुए थे । भगवान सहाय और श्रीमती सुनीता **उर्फ** सोनू **उर्फ** नगमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वे हबीब इब्राहिम की, जोकि भारत में अवैध रूप से रह रहा था, मदद कर रहे थे । इस संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई थी और अन्वेषण शुरू किया गया । अन्वेषण कार्य पूरा होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया ।

विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोग पूर्णतया सिद्ध होते हैं । तदनुसार दोषसिद्धि अभिलिखित की गई थी और दंडादेश अधिरोपित किया गया था । उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए दांडिक पुनरीक्षण आवेदन में जो आधार अपनाया गया था वह यह था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों से, जोकि जयपुर में रह रहे थे, मिलने आया था । यह और निवेदन किया गया था कि चूंकि अभियुक्त तीन वर्ष नौ मास से अधिक अवधि तक अभिरक्षा में रह चुका है, अत: उसके प्रति उदारतापूर्वक मत अपनाया जाए । राज्य ने यह दलील देते हुए इस आधार का विरोध किया कि अपीलार्थी जानते हुए और जानबूझ कर बिना किसी पासपोर्ट के भारत में आया था और यहां रह रहा था । उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह था कि दोषसिद्धि सुआधारित है और दंडादेश को कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है । उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा जो आधार अपनाया गया था, उसी आधार को पुन: अपनाया गया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि वह चार वर्ष और छह मास से अधिक अवधि तक पहले ही अभिरक्षा में रह चुका है और दंड की अवधि को कम किया जाना चाहिए । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह स्पष्टतया सिद्ध होता है कि अपीलार्थी के पास भारत में ठहरने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं था । इस तथ्य के प्रति अपीलार्थी द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है । अपनी उपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए जो एकमात्र अभिवाक् किया गया था, वह यह था कि वह (भारत में) अपनी पत्नी और बच्चों को मिलने के लिए आया था । जैसाकि निचले न्यायालयों द्वारा यह ठीक ही उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी को अभिवहन वीज़ा जारी किया हुआ था और वह भी छह मास की अवधि के लिए नेपाल के लिए । अपीलार्थी के पास भारत में ठहरने के लिए कोई विधिमान्य दस्तावेज नहीं थे । अपनी उपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए जो एकमात्र अभिवाक् था वह यह था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को मिलने के लिए आया था । इससे अपीलार्थी

को भारत में अवैध रूप से ठहरने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता । विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 के साथ पठित धारा 3 को ठीक ही लागू किया गया है । अत: सिद्धदोष ठहराए जाने की कार्रवाई को दोषप्रद नहीं कहा जा सकता है । जहां तक दंडादेश का संबंध है, इस बात पर विचार करते हुए कि अत्यधिक संख्या में घुसपैठिए भारत में बिना विधिमान्य दस्तावेजों के आ जाते हैं, कठोर दंडादेश अधिरोपित किए जाने की जरूरत है । अपीलार्थी द्वारा भारत में अपनी उपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए जो कारण बताए गए हैं उनमें कतई कोई सार नहीं है । अपीलार्थी का यह कमजोर अभिवाक् कि वह यह नहीं जानता था कि उसके पास (यहां ठहरने के लिए) विधिमान्य दस्तावेज होना आवश्यक है, बिना किसी सार के है । अन्यथा उसने नेपाल के लिए कोई अभिवहन वीज़ा अभिप्राप्त न किया होता । उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए इस अपील में हस्तक्षेप किए जाने की गुंजाइश नहीं है । (पैरा 7 और 8)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 994.

2006 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1201 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर के तारीख 21 नवंबर, 2007 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री दिनेश कुमार गर्ग, अभिषेक गर्ग, बी. एस. बिल्लोवरिया और डी. के. गुप्त

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री नवीन कुमार सिंह और अरुणेश्वर कुमार गुप्त

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (डा.) अरिजीत पसायत ने दिया ।

न्या. (डा.) पसायत – इजाजत दी जाती है ।

2. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ, के विद्वान् एकल न्यायाधीश के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी की विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 14 के साथ पठित धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में की गई दोषसिद्धि को और पांच वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 25,000/- रुपए के जुर्माने का, व्यतिक्रम संबंधी अनुबंध के साथ, संदाय करनें के दंडादेश को मान्य ठहराया गया था । अधिनियम की धारा 14 के

साथ पठित धारा 13 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी के साथ दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण की कार्यवाही की गई थी । सह-अभियुक्त भगवान साहू सैन को दोषमुक्त कर दिया गया था, जबकि अन्य अभियुक्त श्रीमती सुनीता **उर्फ** सोनू **उर्फ** नगमा को सिद्धदोष ठहराया गया था और उसे तीन वर्ष का साधारण कारावास भोगने तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का, व्यतिक्रम संबंधी अनुबंध के साथ, संदाय करने से दंडादिष्ट किया गया था ।

3. संक्षेप में, तथ्यों की पृष्ठभूमि इस प्रकार है : –

विद्याधर नगर, जयपुर के थाने का भारसाधक अधिकारी तारीख 13 जनवरी, 2004 को इत्तिलाकर्ता से सूचना मिलने पर थाने के तत्कालीन भारसाधक अधिकारी श्री रछपाल सिंह और पुलिस अधीक्षक के साथ विद्याधर नगर बस स्टैंड सं. 15 पर पहुंचा तथा सूचना का सत्यापन कराया कि भगवान सहाय सैन, जोकि ग्राम अकेदादुगर का निवासी है, के साथ जो व्यक्ति हैं वे पाकिस्तान के निवासी हैं और भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं । तत्पश्चात् पूर्वाह्न लगभग 8.15 बजे वह दो साक्षियों के साथ बस स्टैंड सं. 15 पर पहुंचा । उसने देखा कि एक व्यक्ति भगवान सहाय के साथ है । पूछताछ किए जाने पर, उसने बताया कि उसका नाम हबीब इब्राहिम है और उसके पिता का नाम इब्राहिम रहमतुल्ला है और वह गली सं. 3, मुल्लाह अल्लाह डडलेन गोबोल रोड, लियाड़ी, कराची, पाकिस्तान का निवासी है । भारत में उसे रहने के लिए प्राधिकृत किए जाने संबंधी दस्तावेजों की हबीब इब्राहिम से मांग की गई थी और भारत में उसके आने का कारण पूछा गया था । उसने उसका कोई समाधानप्रद उत्तर नहीं दिया । संदेह होने के आधार पर उसकी साक्षियों की उपस्थिति में तलाशी ली गई थी और उसकी जेब से पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद किया गया तथा नेपाल का छह मास का पर्यटन वीज़ा तथा टेलीफोन बिल भी उससे बरामद हुए थे । भगवान सहाय और श्रीमती सुनीता **उर्फ** सोनू **उर्फ** नगमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वे हबीब इब्राहिम की, जोकि भारत में अवैध रूप से रह रहा था, मदद कर रहे थे । इस संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 14/2004 रजिस्टर की गई थी और अन्वेषण शुरू किया गया । अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था और अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था । अभियुक्त हबीब इब्राहिम की सूचना पर, नेपाल की करेंसी, नोकिया

कंपनी का रिलायंस मोबाइल तथा एयरलाइन्स की टिकटें, दस्तावेज़ तथा बंगलादेश से संबंधित दस्तावेज़ और नकदी तथा भारतीय करेंसी उसके विद्याधर नगर स्थित मकान सं. 8/37 से बरामद की गई और उन सबको अभिगृहीत कर लिया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अन्वेषण कार्य पूरा होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया ।

4. विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर का निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोग पूर्णतया सिद्ध होते हैं । तदनुसार दोषसिद्धि अभिलिखित की गई थी और दंडादेश अधिरोपित किया गया था । उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए दांडिक पुनरीक्षण आवेदन में जो आधार अपनाया गया था वह यह था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों से, जोकि जयपुर में रह रहे थे, मिलने आया था । यह और निवेदन किया गया था कि चूंकि अभियुक्त तीन वर्ष नौ मास से अधिक अवधि तक अभिरक्षा में रह चुका है, अत: उसके प्रति उदारतापूर्वक मत अपनाया जाए । राज्य ने यह दलील देते हुए इस आधार का विरोध किया कि अपीलार्थी जानते हुए और जानबूझ कर बिना किसी पासपोर्ट के भारत में आया था और यहां रह रहा था । भले ही वह पाकिस्तान का निवासी है या ओमान का, जैसाकि बताया गया है, अपीलार्थी के पास नेपाल जाने के लिए केवल पर्यटन वीज़ा था और उस वीज़ा की चालू अवधि भी केवल छह मास की थी । उस अवधि के बहुत समय पश्चात् अपीलार्थी बिना पासपोर्ट के भारत में पाया गया था ।

5. उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह था कि दोषसिद्धि सुआधारित है और दंडादेश को कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा जो आधार अपनाया गया था, उसी आधार को पुन: अपनाया गया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि वह चार वर्ष और छह मास से अधिक अवधि तक पहले ही अभिरक्षा में रह चुका है और दंड की अवधि को कम किया जाना चाहिए । अधिनियम की धारा 3, 13 और 14 इस प्रकार है :–

"धारा 3. **आदेश बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार या तो साधारणत: या सब विदेशियों के संबंध में या किसी विशिष्ट विदेशी के संबंध में या किसी विहित वर्ग या विवरण के विदेशी के संबंध में, भारत में विदेशियों के प्रवेश, उससे उनके प्रस्थान या उसमें उनकी उपस्थिति या उनकी निरन्तर उपस्थिति को प्रतिषिद्ध, विनियमित या

निर्बंधित करने के लिए, आदेश द्वारा उपबंध बना सकती है ।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन बनाए गए आदेशों में यह उपबंधित हो सकता है कि विदेशी –

'(क) भारत में प्रवेश नहीं करेगा, या भारत में केवल ऐसे समयों पर और ऐसे मार्ग से और ऐसे पत्तन या स्थान से और अपने आगमन पर ऐसी शर्तों के, जैसी विहित की जाएं, अनुपालन के अधीन रहते हुए, प्रवेश करेगा ;

(ख) भारत से प्रस्थान नहीं करेगा, या ऐसे समयों पर और ऐसे मार्ग से और ऐसे पत्तन या स्थान से और प्रस्थान पर ऐसी शर्तों के, जैसी विहित की जाएं, अनुपालन के अधीन रहते हुए प्रस्थान करेगा ;

(ग) भारत में या भारत में किसी विहित क्षेत्र में नहीं रहेगा ;

(गग) यदि इस धारा के अधीन आदेश द्वारा उससे भारत में न रहने की अपेक्षा की गई है, तो वह अपने व्ययनाधीन साधनों से भारत से अपने हटाए जाने का और ऐसे हटाए जाने तक भारत में अपने भरणपोषण का व्यय वहन करेगा ;

(घ) भारत में ऐसे क्षेत्र में जैसा विहित किया जाए अपने को ले जाएगा और उसमें रहेगा ;

(ङ) ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा जो विहित या विनिर्दिष्ट की जाएं –

(i) जिनसे किसी विशिष्ट स्थान में निवास करने की उससे अपेक्षा की जाए,

(ii) जिनसे उसकी गतिविधियों पर किन्हीं निर्बंधनों को अधिरोपित किया जाए,

(iii) जिनसे उसको पहचान का ऐसा सबूत देने और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी विशिष्टियां ऐसी रीति से और ऐसे समय और स्थान पर जो विहित या विनिर्दिष्ट किए जाएं, रिपोर्ट करने के लिए अपेक्षा की जाए,

(iv) जिनसे उसके फोटोचित्र और अंगुली छाप

किए जाने के लिए अनुज्ञात करने के लिए और उसके हस्तलेख और हस्ताक्षर का नमूना ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय और स्थान पर जो विहित या विनिर्दिष्ट किए जाएं देने की अपेक्षा की जाए,

(v) जिनसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे समय और स्थान पर जैसे विहित या विनिर्दिष्ट किए जाएं ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के लिए जो विहित या विनिर्दिष्ट की जाए स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षा की जाए,

(vi) जिनसे विहित या विनिर्दिष्ट प्रकार के व्यक्तियों के साथ मेलजोल से उसे प्रतिषिद्ध किया जाए,

(vii) जिनसे विहित या विनिर्दिष्ट विवरण के क्रियाकलापों के करने से उसे प्रतिषिद्ध किया जाए,

(viii) जिनसे विहित या विनिर्दिष्ट वस्तुओं के उपयोग या कब्जे से उसे प्रतिषिद्ध किया जाए,

(ix) जिनसे किसी ऐसी विशिष्टि में जैसी विहित या विनिर्दिष्ट की जाए उसके आचरण को अन्यथा विनियमित किया जाए ;

(च) किन्हीं या सभी विहित या विनिर्दिष्ट निर्बंधनों या शर्तों के, सम्यक् अनुपालन के लिए, या प्रवर्तन के विकल्प के रूप में, प्रतिभू सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करेगा ;

(छ) गिरफ्तार और निरुद्ध या परिरुद्ध किया जाएगा'

और किसी ऐसे मामले के लिए जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है ऐसे आनुषंगिक या अनुपूरक मामलों के लिए जो केन्द्रीय सरकार की राय में इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए समीचीन या आवश्यक हैं, उपबंध कर सकते हैं ।

(3) इस निमित्त विहित कोई भी प्राधिकारी किसी विशिष्ट विदेशी के संबंध में उपधारा (2) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन आदेश दे सकता है ।

धारा 13. **इस अधिनियम आदि के उपबंधों का उल्लंघन करने**

का प्रयास आदि – (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश का उल्लंघन या दुष्प्रेरण की तैयारी करता है या दुष्प्रेरण करने का प्रयास करता है या उल्लंघन में कोई कार्य करता है या किसी ऐसे आदेश के अनुसरण में दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है ।

(2) कोई व्यक्ति जो यह जानते हुए या यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण होते हुए कि किसी अन्य व्यक्ति ने इस अधिनियम या तदधीन किए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया है, उस अन्य व्यक्ति की इस आशय से सहायता करता है कि तद्द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए उसकी गिरफ्तारी, विचारण या दण्ड में रुकावट, प्रतिबाधा या अन्यथा हस्तक्षेप होगा तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे उल्लंघन को दुष्प्रेरित किया है ।

(3) यथास्थिति, किसी ऐसे जलयान के मास्टर या वायुयान के चालक के बारे में जिसके माध्यम से कोई विदेशी धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश या उक्त धारा के अनुसरण में दिए गए किसी निदेश के उल्लंघन में, भारत में प्रवेश या भारत से प्रस्थान करता है, जब तक वह यह साबित नहीं कर दे कि उसने उक्त उल्लंघन का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी, यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम का उल्लंघन किया है ।

धारा 14. शास्तियां – यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन किए गए आदेश या इस अधिनियम या ऐसे आदेश के अनुसरण में दिए गए किसी निदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा; और यदि ऐसे व्यक्ति ने धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अनुसरण में बंधपत्र दिया है तो उसका बंधपत्र समपहृत कर लिया जाएगा और तद्द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति उसकी शास्ति का संदाय करेगा या दोषसिद्ध करने वाले न्यायालय के समाधानपर्यन्त हेतुक दर्शित करेगा कि ऐसी शास्ति का संदाय क्यों न किया जाए ।"

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह स्पष्टतया सिद्ध होता है कि अपीलार्थी के पास भारत में ठहरने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं था । इस तथ्य के प्रति अपीलार्थी द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है । अपनी उपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए जो एकमात्र अभिवाक् किया गया था, वह यह था कि वह (भारत में) अपनी पत्नी और बच्चों को मिलने के लिए आया था । जैसाकि निचले न्यायालयों द्वारा यह ठीक ही उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी को अभिवहन वीज़ा जारी किया हुआ था और वह भी छह मास की अवधि के लिए नेपाल के लिए । अपीलार्थी के पास भारत में ठहरने के लिए कोई विधिमान्य दस्तावेज नहीं थे । अपनी उपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए जो एकमात्र अभिवाक् था वह यह था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को मिलने के लिए आया था । इससे अपीलार्थी को भारत में अवैध रूप से ठहरने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता । निचले न्यायालयों द्वारा यह ठीक ही उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी को केवल अभिवहन वीज़ा जारी किया हुआ था और वह भी छह मास की अवधि के लिए नेपाल के लिए । अपीलार्थी के पास भारत में ठहरने के लिए कोई विधिमान्य दस्तावेज नहीं था । अत: अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 3 को ठीक ही लागू किया गया है । अत: सिद्धदोष ठहराए जाने की कार्रवाई को दोषप्रद नहीं कहा जा सकता है । जहां तक दंडादेश का संबंध है, इस बात पर विचार करते हुए कि अत्यधिक संख्या में घुसपैठिए भारत में बिना विधिमान्य दस्तावेजों के आ जाते हैं, कठोर दंडादेश अधिरोपित किए जाने की जरूरत है । अपीलार्थी द्वारा भारत में अपनी उपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए जो कारण बताए गए हैं उनमें कतई कोई सार नहीं है । अपीलार्थी का यह कमजोर अभिवाक् कि वह यह नहीं जानता था कि उसके पास (यहां ठहरने के लिए) विधिमान्य दस्तावेज होना आवश्यक है, बिना किसी सार के है । अन्यथा उसने नेपाल के लिए कोई अभिवहन वीज़ा अभिप्राप्त न किया होता ।

8. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए इस अपील में हस्तक्षेप किए जाने की गुंजाइश नहीं है ।

9. तदनुसार अपील खारिज की जाती है ।

तदनुसार अपील खारिज की गई ।

ज.